

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

दिनांक	फर्द अहकाम
20 <sup>10</sup> / <sub>23</sub>	<p>पत्तावली झाप मन्दी सुनवारी का अहकाम स्वीकार थीं पर पंजाबी अहकाम उप वि. उपखण्ड झाप निर्णय को मूल खण्ड डि.डी. के अंतर्गत (कै.मल.वे.थान) पर पुनरावलोकन का आदेश देने का कोई औचित्य नहीं है। अतः उप. अ. म. पंजाबी अहकाम अन्तर्गत निर्णय दि. 23-6-22 को खारिज किया जाता है। अहकाम सं. 137/22 T.C. हरि सिंह बनाम सग. सिंह खारिज किया जाता है। पत्तावली के मूल अहकाम दोहराकर अ. म. म. है।</p>

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (कौली)